

सेवा में;

सूचना अधिकारी

विषय - सूचना के अधिकार 2005 के तहत माँगी गई सूचना के सम्बन्ध में।

महोदय,

यदि किसी ठेकेदार को राष्ट्रीय राजधानी केन्द्र शासित प्रदेश दिल्ली से विद्युत लाइसेंस (Electrical licence) निर्गम किया गया है, तो इस सम्बन्ध में निम्नांकित जानकारी दें।

- 1- क्या वह ठेकेदार उस विद्युत लाइसेंस के आधार पर आपके यहाँ आपके निषेधा के other term and condition को पूरा करते हुए, विद्युत कार्य के निषेधा प्रक्रिया में भाग ले सकता है या नहीं।
- 2- क्या वह ठेकेदार उस विद्युत लाइसेंस के आधार पर बिहार में किसी विद्युत कार्य को करने के लिए, यदि उन्ध्य आर्टिंग पूरा करता हो तो विद्युत कार्य करने के लिए योग्य है या नहीं।
- 3- क्या वह ठेकेदार उस विद्युत लाइसेंस के आधार पर भारत भर के सभी राज्यों में कार्य का हकदार है या नहीं।

धन्यवाद

आपका विश्वासी
भारती सिन्हा